

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-771/2012

संस्थित दिनांक-24.09.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,

तहसील-बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

राजकुमार, पिता ज्ञानीराम शिवने, उम्र 36 वर्ष, जाति कलार,

साकिन वार्ड नं. 4 मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,

जिला बालाघाट(म.प्र.) - - - - - आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-14/07/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध सार्वजनिक धूर्त अधिनियम 1867 की धारा-4(क) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-30.08.2012 को करीब 20:30 बजे ग्राम मोहगांव में बस स्टेण्ड के पास थाना मलाजखंड अंतर्गत में सट्टा शीर्षक के अंतर्गत सट्टा-पट्टी लिखकर अंको का हार-जीत का दांव लगाया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरक्षी केंद्र मलाजखण्ड के प्रधान आरक्षक ज्ञानेश्वर ईडपांचे दिनांक-30.08.2012 को ग्राम मोहगांव हमराह स्टाफ के साथ गश्त करने गया था, जहाँ उसे मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी राजकुमार शिवने मोहगांव बस स्टेण्ड के पास सट्टा-पट्टी के अंक लिखकर उस पर रुपये-पैसे का हार-जीत का दांव लगवाकर जुआ खिलवा रहा है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ तथा गवाहों के साथ मौके पर जाकर रेड किया तो आरोपी एक कापी के रूलिंग वाले कागज पर सट्टा-पट्टी के अंक लिखकर रूपयों का दांव लगाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से एक सट्टा पट्टी जिसके प्रारम्भ में 05 तथा अंत में 22 हिन्दी में लिखा हुआ, एक डाट पेन नीली स्याही वाला तथा 222 रुपये नगदी साक्षियों के समक्ष जप्त किया गया तथा आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-96/12 अंतर्गत धारा-4(क) सार्वजनिक धूर्त अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

3- आरोपी को सार्वजनिक धूर्त अधिनियम 1867 की धारा-4(क) के अंतर्गत

अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-30.08.2012 को करीब 20:30 बजे ग्राम मोहगांव में बस स्टेण्ड के पास थाना मलाजखंड अंतर्गत में सट्टा शीर्षक के अंतर्गत सट्टा-पट्टी लिखकर अंको का हार-जीत का दांव लगाया?

### विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— अनुसंधानकर्ता ज्ञानेश्वर ईडपांचे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.08.2012 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध की पतासाजी बाबत गश्ती पर था कि मोहगांव बस स्टेण्ड के पास में एक व्यक्ति सट्टा-पट्टी लिख रहा है। वह मौके पर हमराह स्टाफ तथा साक्षियों के साथ जाकर रेड किया तो बस स्टेण्ड के पास से आरोपी राजकुमार को पकड़े थे। आरोपी के पास से एक डाट पेन, कापी, जिस पर सट्टा-पट्टी के अंक लिखे हुए थे, पकड़े थे तथा नगदी रूपये भी मिले थे। आरोपी से एक डाट पेन, सट्टा-पट्टी एवं नगदी रूपये साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त किये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी समय आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 के माध्यम से साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-96/12, धारा-4(क) सार्वजनिक धूर्त अधिनियम के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी मिलोकीदास एवं अमीनदास के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसके द्वारा घटना दिनांक को रवानगी एवं वापसी का सान्हा प्रदर्श पी-5 व प्रदर्श पी-6 चालान के साथ संलग्न किया गया है, जिसमें घटना का खुलासा किया गया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की केस डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में देहाती नालिस दर्ज नहीं किया था। उसने प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न रवानगी एवं वापसी का सान्हा प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 की मूलप्रति साथ में नहीं लाया। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों को मात्र प्रदर्श कराया जाने से फोटो कापी के रूप में साक्ष्य ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है। बल्कि इन दस्तावेजों की मूल प्रति को साक्ष्य में सबूती के तौर पर पेश किये जाने के उपरांत ही उनका साक्षिक मूल्य रह जाता है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अभियोजन ने विधिवत् रूप से साबित नहीं किया है।

7— चक्षुदर्शी साक्षी आमीनदास (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग 10-11 माह पूर्व की है। वह मलाजखंड थाने के पास से गुजर रहा था तब उसने दो जगह पर हस्ताक्षर किया था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी। पुलिस ने उसके समक्ष प्रदर्श पी-2 का दस्तावेज तैयार नहीं किया था, प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उक्त घटना के समय पुलिस द्वारा आरोपी को सट्टा पट्टी के साथ पकड़े थे। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि पुलिस द्वारा आरोपी से जप्ती प्रदर्श पी-1 के अनुसार सामग्री जप्त किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया था और उसे पुलिस ने दस्तावेज पढ़कर नहीं बताये थे। इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी ने किसी भी प्रकार से अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

8— घटना का अन्य चक्षुदर्शी मिलोकीदास (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग ढेड वर्ष पूर्व ग्राम मोहगांव बस स्टेण्ड की है, थाना मलाजखंड पुलिस मोहगांव बस स्टेण्ड आयी थी। आरोपी के पास चेक की थी, जिसमें आरोपी के पास से कुछ नहीं मिला था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को पकड़ा था, फिर वहीं छोड़ दिया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी को घटना के समय सट्टा पट्टी लिखाकर जुआ खिलाते हुए पकड़ा गया था। साक्षी ने उसके सामने कथित सट्टा पट्टी, पेन व नगद राशि उसके सामने जप्त करने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया था और उसे पुलिस ने दस्तावेज पढ़कर नहीं बताये थे। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण साक्षी ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का किसी भी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने हेतु निर्भर करता है। मामले को सबित किये जाने हेतु किसी निश्चित संख्या में साक्षियों को पेश किया जाना अपेक्षित नहीं होता है, बल्कि एकमात्र साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर भी मामला प्रमाणित हो सकता है। यद्यपि जहां एकमात्र साक्षी की साक्ष्य पर मामला प्रमाणित किये जाने हेतु निर्भरता रहती है वहाँ उक्त एकमात्र साक्षी की विश्वसनीयता को जांच परख कर उसकी साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना होता है।

10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एकमात्र साक्षी जप्ती अधिकारी ज्ञानेश्वर ईड़पांचे (अ.सा.3) ने मामले में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के संबंध में कथन किया है। यद्यपि जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन जप्ती के स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। जप्ती अधिकारी ने मौके पर रवानगी एवं थाने पर वापसी के रोजनामचा सान्हा की असल प्रति को साक्ष्य में पेश न कर उक्त कार्यवाही को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी दशा में मामले की प्रकृति को देखते हुए सम्पूर्ण जप्ती, गिरफ्तारी, कायमी व अनुसंधान कार्यवाही को एकमात्र जप्ती अधिकारी के रूप में निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी की स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य के समर्थन के अभाव में एवं उसके द्वारा की गई कार्यवाही में तात्त्विक त्रुटि विद्यमान होने के कारण जप्ती अधिकारी की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता।

11— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में सट्टा शीर्षक के अंतर्गत सट्टा-पट्टी लिखकर अंको का हार-जीत का दांव लगाया। अतः आरोपी को सार्वजनिक धूर्त अधिनियम 1867 की धारा-4(क) के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा एक सट्टा-पट्टी व डाट पेन अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावें एवं जप्तशुदा राशि 222/- रुपये राजसात की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट